भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3237
जिसका उत्तर मंगलवार, 17 मार्च, 2015 को दिया जाना है

भारी उद्योग की स्थापना हेतु सहायता

3237. श्री कंवर सिंह तंवरः

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारी उद्योगों की स्थापना के लिए राज्यों को कोई सहायता/वित्तीय सहायता प्रदान करती है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता का उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क) और (ख): उद्योग राज्य का विषय है। अतः उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों में भारी उद्योगों की स्थापना करने के लिए राज्यों को कोई सहायता/वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु भारी उद्योग विभाग की कोई स्कीम नहीं है। तथापि, कई राज्यों द्वारा भारी उद्योगों सहित उद्योगों की विकास और वृद्धि के लिए प्रोत्साहन और योजनाएं तैयार की गई हैं। केन्द्र सरकार भी वित्त मंत्रालय के माध्यम से संपूर्ण देश में उद्योगों की वृद्धि के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संरचना में प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है।

****